न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश–सह–विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/जनजाति,भोजपुर, आरा।

एस.टी/एस.सी वाद संख्या–~~262/17~~ 150/18

आरा मु0 थाना कांड संख्या 212/18

अंतर्गत धारा 341, 323, 379, 336, 337, 504 506भा. द. वि. एवं

3(i) (x) (xi) SC/ST Act

राज्य

बनाम

सुनिल सिंह एवं अन्य

09.11.2020 प्रस्तुत कांड के अभियुक्त सुनिल सिंह द्वारा उनके विद्वान अधिवक्ता के अधिकार पत्र के साथ न्यायालय में आत्मसमर्पण करते हुए जमानत का आवेदन समर्पित किया गया। आवेदन की प्रति विशेष अभियोजक को दी गयी है। अभियुक्त को अभिरक्षा में लिया गया। आवेदन पर दोनों पक्षों को सुना।

अभियुक्त की ओर से निवेदन किया गया है कि अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है। उसे मिथ्या फंसा दिया गया है। इसके द्वारा जमानत का कभी दुरूपयोग नहीं किया गया है उसें जानकारी न रहने के कारण यह गलती हुई है भविष्य में वे हमेशा न्यायालय के आदेशों का पालन करेंगे। उक्त आधार पर जमानत की प्रार्थना की गयी।

दोनों पक्ष को सुनने एवं अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त को 41ए सी.आर.पी.सी. के अन्तर्गत नोटिश देकर जमानत पर छोड़ दिया गया था। मामले का संज्ञान आरोप पत्र समर्पित होने के पश्चात दिनांक 06–03–19 को हुआ था। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि संज्ञान के पश्चात अभियुक्त के विरूद्ध एन.बी.डबलू निर्गत किया गया परन्तु उसके निष्पादन की कोई भी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। अभियुक्त ने आज स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर आत्मसमर्पण किया है। अभियुक्त को पुलिस पेपर प्रदान किया गया। अभियुक्तं के विरूद्ध आरोप का विरचन किया गया।

अतः मामले के उक्त समग्र तथ्यों परिस्थितियों तथा नोवेल कोरोना वायरस की वजह से उत्पन्न लॉकडाउन की असामान्य परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आवेदक अभियुक्त को उसकी ओर से दस हजार रूपये की समान राशि के प्रतिभू के साथ दो जमानतदारों का जमानत बंधपत्र समर्पित करने पर इस शर्त के साथ जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है कि एक जमानतदार आवेदकगण से संबंधित होंगे तथा अभियुक्तगण किसी प्रकार की आपराधिक क्रिया कलाप में संलग्न नहीं होगा।

वर्तमान समय में नोवेल कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से लॉकडाउन चल रहा है एवं न्यायालय में भौतिक रूप से बंधपत्र समर्पित करना संभाव्य नहीं है। अत आदेश से तीन माह या लॉकडाउन समाप्ती जो भी पहले हो, तब तक के लिए दस हजार रूपये के राशि के एक जमानतदार की ओर से उसके आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ न्यायालय को संबोधित एक वचननामा जिसमें उक्त जमानतदार से आवेदक अभियुक्त का संबंध थाना कांड संख्या अभियुक्त का नाम पता तथा जिस सम्पत्ति को उक्त जमानतदार बतौर जमानत राशि के तौर पर देना चाहते है उसका खाता खेसरा सहित सम्पूर्ण विवरण हो दाखिल करने पर कि वह आज से तीन माह या लॉकडाउन समाप्ती जो भी पहले हो जमानत बंधपत्र समर्पित करा देगा एवं उसमें वह स्वंय भी जमानतदार बनेगा औपबंधिक रूप से जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है। काराधीक्षक विमुक्ति आदेश प्राप्त होने पर अभियुक्त को उसका स्कनिंग कराकर कारा से मुक्त करेंगे। अभियुक्त लॉकडाउन समाप्त होने के उपरांत आज से तीन माह या लॉकडाउन समाप्ती जो भी पहले से नियमित बंधपत्र उक्त उक्त आदेशानुसार समर्पित करेंगे।

लेखापित

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
भोजपुर आरा।